न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

अधिग्रहण वाद संख्या– 123/2012–13

राज्य वनाम मो० हसीब

आदेश

06.9.14

प्रशासननिक वयस्तता के कारण विलम्ब से आदेश पारित किया जाता है।

प्रस्तुत अधिग्रहण वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा 1008 गो० सपत्र दिनांक– 05.07.2012 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रारंभ किया गया।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि दिनांक– 27.06.2012 को गुप्त सूचना के आधार पर घोघसम घाट राजनपुर में छापामारी की गयी। छापामारी में (1) मो० हसीब, पिता– हासीम खॉ, राजनपुर, प्रखण्ड– महिषी की झोपड़ी से दो ड्राम में 400 तथा 6 गैलन में x 50 = 300 योग 700 लीटर, (2) मो० कयुम राजनपुर, प्रखण्ड– महिषी के झोपड़ी से एक ड्राम में 200 लीटर (3) मो० सिराज एवं मो० सलाउद्दीन राजनपुर, प्रखण्ड– महिषी की झोपड़ी से एक ड्राम में 200 लीटर तथा एक आधा ड्राम में 100 लीटर एवं पॉच गैलन में 5 x 50 = 250 योग 550 लीटर (4) खेत से बरामद 6 ड्राम में 1200 लीटर कुल योग– 2650 लीटर किरासन तेल जप्त किया गया। जप्त किरासन तेल श्री सहदेव पंडित, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति संख्या– 361/07 के जिम्मे सुरक्षित रखा गया तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–7 के अधीन महिषी थाना काण्ड संख्या– 72/2012–13 दिनांक– 28.06.2012 दर्ज करायी गयी तत्पश्चात मो० हसीब (1) मो० कयुम, सभी राजनपुर, प्रखण्ड– महिषी (3) मो० सिराज एवं मो० अलाउद्दीन, ग्राम– महपुर, थाना– महपुरा, थाना– महिषी (4) श्री शिवनारायण सिंह एवं श्री पवन कुमार सिंह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, महिषी से अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

प्रतिवादी मो0 हसीब खान को छोड़कर अन्य किसी प्रतिवादी ने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने लिखित में कहा है कि वे कोई जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ठेला भेंडर या खुदरा विक्रेता नहीं है और तथाकथित झोपड़ीनुमा जो सुनसान में स्थित है वह प्रार्थी का नहीं है प्रार्थी को को उस घर से कोई मतलब नहीं है और प्रार्थी को कभी भी उस जमीन व झोपड़ी से मतलब नहीं रहा है। जप्त किया गया किरासन तेल उनका नहीं है तथा गलत ढंग से झोपड़ीनुमा घर प्राथमिकी में लिखाया गया है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। प्रतिपक्षी अनुपस्थित। अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा से प्राप्त अधिग्रहण प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए जप्त किरासन तेल को अधिग्रहित किया जाता है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को निदेशित किया जाता है कि जप्त किरासन तेल जन वितरण प्रणाली दूकान के माध्यम से ए०पी०एल० दर पर विक्री करवाकर राशि कोषागार में उचित शीर्ष अन्तर्गत जमा करवाना सुनिश्चित करें। इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

06.9.14

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1709-2 / जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 13 वीं सितम्बर, 2014 ई. ।

प्रतिलिपि– अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/9/14

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
12.9.14

ज्ञापांक 1709-2 / जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 13 वीं सितम्बर, 2014 ई. ।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं सहरसा जिला के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

12/9/14

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
12.9.14